न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 33/2014

श्री रायचन्द पुत्र श्री सुजा जाति गुर्जर निवासी ग्राम फतहगढ़ तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।

.............*अपीलार्थी*

बनाम

1. श्रीमति एजन तथाकथित बेवा श्री नारायण जाति गुर्जर निवासी ग्राम फतहगढ़ तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार

..........*अप्रार्थीगण*

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. श्री राकेश अरोड़ा, वकील अपीलार्थी की ओर से।
2. श्री हनुमान प्रसाद शर्मा, वकील अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।
3. श्री शुभकरण सिंह चौधरी, सरकारी वकील

–: आदेश :–

दिनांक 29.06.2016

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि तहसील सरवाड़ के राजस्व ग्राम फतेहगढ़ स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 338 किता–8 कुल रकबा 23.18 के रेकार्डेड खातेदार श्री नारायण दत्तक पुत्र श्री उदा जाति गुर्जर साकिन देह की मृत्यु हो जाने पर तहसीलदार सरवाड़ द्वारा मृतक की विरासत का नामान्तरकरण, मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रमाणित सजरा, पहचान पत्र, आधार कार्ड व जांच मौतबिरान के आधार पर श्रीमति एजन पत्नी श्री नारायण जाति गुर्जर निवासी ग्राम फतेहगढ़ तहसील सरवाड़ जिला अजमेर के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 2505 दिनांक 21.06.2014 स्वीकृत कर दिया। अपीलार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत इसी आक्षेपीय नामान्तरकरण संख्या 2505 दिनांक 21.06.2014 से असंतुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

हमनें उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। वकील अपीलार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष मृतक की विरासत का नामान्तरकरण अपने पक्ष में स्वीकृत करने हेतु एक प्रार्थना पत्र इस आधार पर पेश किया कि श्री नारायण पुत्र श्री उदा की मृत्यु हो चुकी है जो उनका पति है। अतः विवादित भूमि का नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाकर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किया जावें। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किये विवादित भूमि बाबत् अपीलार्थी एवं अप्रार्थी के मध्य विचाराधीन राजस्व वाद के तथ्यों को छिपाते हुए प्रार्थना पत्र पर बिना

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर अजमेर

Scanned by CamScanner

नोटिस जारी किए तथा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति को नजरअंदाज कर केवल मात्र पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर आक्षेपीय नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया है, जो निरस्त योग्य है। वकील अपीलार्थी ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि मृतक श्री नारायण की विरासत अपीलार्थी के नाम तस्दीक नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा राजस्व वाद संख्या 354/2008 वास्ते खातेदारी घोषणा हेतु उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा स्वयं को मृतक की बेवा होना वर्णित करते हुए वादग्रस्त भूमि का खातेदार घोषित किए जाने हेतु पृथक से राजस्व वाद संख्या 26/2007 उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ के समक्ष प्रस्तुत कर रखा है जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा फर्जी तरीके से स्वयं को मृतक की बेवा होना वर्णित किया है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों पर न्यायालय द्वारा तहसीलदार सरवाड़ से जांच करवाई जा रही है। इससे स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय को समस्त तथ्यों की जानकारी रही है, इसके बावजूद उनके द्वारा सक्षम न्यायालय में राजस्व वाद विचाराधीन रहते एवं न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में विवादित भूमि पर यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये जाने के उपरान्त भी आक्षेपीय नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया है जो विधि विरूद्व है। उनका यह भी कथन है कि अपीलान्ट द्वारा उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ के समक्ष राजस्व वाद बाबत् खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत कर विवादित भूमि में मृतक के नाम रहे खातेदारी इन्द्राज को स्वयं के पक्ष में मृतक के जीवनकाल में कराये गये वसीयतनामें के आधार पर प्रस्तुत किया है, उक्त दस्तावेज में स्पष्टतः मृतक द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में विवादित भूमि को दिया जाना अंकित किया है। अप्रार्थी संख्या 1 जिसका मृतक से किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं रहा है, उनके द्वारा स्वयं को मृतक की बेवा होना वर्णित करते हुए पृथक वाद प्रस्तुत किया है एवं स्वयं के पक्ष में वाद के विचाराधीन रहते फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार करवाये गये है जिसकी जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को उपखण्ड अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपखण्ड अधिकारी को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व ही अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग करते हुए मृतक को लाओलाद फौत होना मानकर अप्रार्थी संख्या 1 को उसकी बेवा अंकित कर अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना आक्षेपीय नामान्तरकरण स्वीकृत करने में कानूनी भूल की है। उनका यह भी कथन है कि अप्रार्थी संख्या 1 मृतक श्री नारायण की बेवा न होकर श्री भैरू की पत्नी है, इस तथ्य की पुष्टि निर्वाचन नामावली से होती है। इसके अतिरिक्त पटवारी हल्का फतेहगढ़ द्वारा फर्जी दस्तावेज के आधार पर आक्षेपीय नामान्तरकरण भरा जाकर अंकित किया गया है कि आदिनांक तक कोई स्थगन नहीं है जबकि उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ द्वारा दिनांक 03.04.2007 को यथास्थिति के आदेश पारित कर दिये थे। इस प्रकार पटवारी हल्का द्वारा पैसा लेकर अप्रार्थी संख्या 1 को लाभान्वित किया गया है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि नामान्तरकरण कार्यवाही समरी कार्यवाही है जिसे वाद के विचाराधीन रहते लम्बित रखा जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत आक्षेपीय नामान्तरकरण निरस्त किया जावे।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में वकील अप्रार्थी संख्या 1 का कथन है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त कथन झूठे एवं

न्यायालय अपर जिला कलेक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

कि अपीलान्ट को उक्त वसीयत की पुष्टि करवाकर सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिये। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त की जावे।

हमने उभयपक्ष के वकील द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम फतेहगढ़ स्थित विवादित भूमि के रेकार्डेड खातेदार श्री नारायण पुत्र श्री उदा गुर्जर की मृत्यु पश्चात् मृतक की विरासत का आक्षेपीय नामान्तरकरण अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया गया है जबकि विवादित भूमि के संबंध में अपीलार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ के समक्ष राजस्व वाद विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी द्वारा रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति के आदेश जारी किय हुये है इसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपीय नामान्तरकरण स्वीकृत किया है जो विधि विरूद्व है। नामान्तरकरण कार्यवाही Piscal Proceeding मात्र है जिसके आधार पर किसी भी व्यक्ति के खातेदारी अधिकार तय नहीं किये जा सकते। जब सक्षम न्यायालय में नियमित राजस्व वाद विचाराधीन हो तो नामान्तरकरण की कार्यवाही स्थगित रखी जानी चाहिये।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकृत की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2505 दिनांक 21.06.2014 निरस्त किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 29.06.2016 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

(किशोर कुमार)
अपर कलेक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner